

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2506 / 2011 / चुरु

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त चुरु

...अपीलार्थी

बनाम  
निकुंज आर्ट्स, मेन मार्केट,  
सरदारशहर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री विष्णु कांत गर्ग  
अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.08.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 411/आरवेट/चुरु/09-10 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त चुरु (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006-07 हेतु पारित आदेश दिनांक 09.03.2009 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 23, 24 के तहत कायम की गई मांग राशि 12,613/- को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील आंशिक स्वीकार करते हुये आई.टी.सी. 10,346/- को स्वीकार किया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण में अपीलार्थी का वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 09.03.2009 को पारित किया गया है। अपीलार्थी हैण्डीक्राफ्ट फर्नीचर का निर्माता है। अपीलार्थी द्वारा फर्नीचर निर्माण के दौरान लकड़ी कटाई/चिराई के बाद जो अनुपयोगी लकड़ी, जलाउ लकड़ी निकलने पर इस पर आई.टी.सी. रु 2267/- को रिवर्स किया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इस आई.टी.सी. रिवर्स टैक्स को अस्वीकार कर दिया तथा अपीलार्थी द्वारा कैपिटल गुड्स सीमेन्ट पर आई.टी.सी. रु 10,346/- क्लेम किया जिसे भी सक्षम अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार की गई आई.टी.सी. राशि रु 10,346 को स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी ने यह माना है कि अपीलार्थी ने हैण्डीक्राफ्ट फैक्ट्री के निर्माण के दौरान मशीनरी स्थापित करने के लिये जो फाउण्डेशन स्थापित किये गये हैं उसमें

2m

लगातार.....2

सीमेन्ट को प्रयोग में लिया गया है तथा जिस पर मशीनरी स्थापित की गयी है। इसी प्रकार से अपीलार्थी ने वूड सिजनींग प्लांट भी स्थापित किया है जो लकड़ी को टेडा-मेढा होने से बचाता है। अपीलार्थी ने लकड़ी में दीमक नहीं लगे उसके लिये उसे कैमीकली ट्रीटमेन्ट करने के लिये कैमीकल टैंक/वाटर टैंक का निर्माण किया है जिसको बनाने में सीमेन्ट का उपयोग किया गया है। इस तरह से यह मशीन फाण्डेशन, कैमीकल, टैंक/वाटर टैंक अपीलार्थी के द्वारा स्थापित हैण्डिक्राफ्ट प्लांट एवं मशीनरी का ही पार्ट्स होना सिद्ध होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार की गयी आई.टी.सी. राशि रु. 10,346/- को स्वीकार किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

4. निर्णय सुनाया गया।

न. (४२३३)/  
( नत्थूराम )  
सदस्य